

सूचन क अलकिर अलानियम, 2005 की लर 25(3) के तहत परमणु ऊर ल भिंग के संबल में लनिक 31.12.2024 को समपत तिमही के लिए समेकित ररपोर्ट।

क्रमांक	विवरण	टिप्पणी
(क)	प्रत्येक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त अनुरोधों की संख्या	पीआईओ : 191 एफएए : 20
(ख)	निर्णय की संख्या आवेदन की अनुरूप दस्तावेज़ प्राप्त करने का हकदार नहीं है, अधिनियम के प्रारूप के लिए जो ये निर्णय लिए गए थे और अवधि की संख्या जैसे वरीयता के अवलव के लिए गए थे।	-
(ग)	समीक्षा केंद्रीय सूचना आयोग को भेजे गए पुनरावेदनों की संख्या, पुनरावेदनों के प्रकार और पुनरावेदनों के परिणाम।	-
(घ)	इस अधिनियम के संबंध में किसी अधिकारी के संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण।	-
(ङ)	इस अधिनियम के अयोग्य प्रत्येक जन अधिकारिता द्वारा अधिकृत सटीक राशि।	रुपये 430
(च)	प्रत्येक जन प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अभिप्राय की व्यवस्था और साझा करने के निर्देशित प्रयास का विवरण।	#
(छ)	सुधार हेतु सुलभ सूझाव, जो विकास के लिए आवश्यक है उसके सहित, सुधार, आधुनिकीकरण, अधिनियम के संशोधन हेतु सुधार या अन्य विधि निर्माण या सामान्य विकल्प या सूचना प्राप्ति के अधिकार को प्रचालनात्मक करने के लिए अन्य कोई संगत विषय।	-

लोक परालकिरण ने अपनी परासं गिक जानकारी लेबसाइल www.dae.gov.in पर उलपब्ध करा दी है और एक सहायक लोक सूचना अलकिरी और 20 लोक सूचना अलकिरी नामित किए हैं और उनक सं पकण ललरिण भी लेबसाइल पर उलपब्ध कराया गया है।